

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024

दिनांक 16/05//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 15.05.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

1. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 15.05.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 174/2018 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त अभिषेक उर्फ बबलू नाई पुत्र श्याम बिहारी नाई निवासी कोतवालीपुर खालिसपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास तथा 5000रु के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि0 में 07 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ¾ पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर